

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

राँची/दिनांक : 28/07/2021

संकल्प

विषय : दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2021 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

केन्द्र सरकार के द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अपने पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत पेंशन पुनरीक्षण के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को योजना-सह-वित्त विभागीय संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा पेंशन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कांडिका- 9.1 में केन्द्र सरकार के अनुरूप महँगाई राहत अनुमान्य किया गया है।

2. भारत सरकार के लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्र संख्या 42/07/2021-P & PW (D) दिनांक 22.07.2021 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना (सातवाँ वेतनमान) में दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई राहत की वर्तमान दर को 17% (सत्रह प्रतिशत) से 28% (अट्ठाईस प्रतिशत) करने का निर्णय लिया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को वर्तमान में अनुमान्य महँगाई राहत की दर को सम्यक विचारोपरांत निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-

“राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से मूल पेंशन का 28% (अट्ठाईस प्रतिशत) महँगाई राहत स्वीकृत किया जायेगा। इस वृद्धि में दिनांक 01.01.2020, 01.07.2020 एवं 01.01.2021 को देय अतिरिक्त किश्तें सम्मिलित हैं। पूर्व में अवधारित महँगाई राहत की दर, दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिए 17% ही रहेगी।”

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1558/वि० दिनांक 26.07.2021 के क्रम में दिनांक 27.07.2021 की बैठक के मद सं० 12 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी कोषागार/उप-कोषागार एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)

प्रधान सचिव,

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

Pen-3

L-1379

की प्रतियाँ
1/8

02 AUG 2021

पत्रांक : वि०प० 6ए-12/2013...1923/130

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची / दिनांक 26/08/2021

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छटा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि०, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की भांति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से अपुनरीक्षित (छटा वेतनमान) केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका-17 (ए०)(बी०) के अनुसार पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई राहत स्वीकृत किया गया है।

2. उपर्युक्त के अनुसार केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के भांति दिनांक 01.01.2006 (छटा वेतनमान) से राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी महँगाई राहत अनुमान्य किया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगी, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छटा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को 164% (एक सौ चौंसठ प्रतिशत) महँगाई राहत अनुमान्य है।

3. केन्द्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों को दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से छटे वेतन पुनरीक्षण के लाभ के अनुरूप महँगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया गया है और इसके आलोक में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या 1/3(1)/2008 E.II(B) दिनांक 13.08.2021 के द्वारा छटे अपुनरीक्षित वेतनमान में महँगाई भत्ते की दर को 164% (एक सौ चौंसठ प्रतिशत) से बढ़ाकर 189% (एक सौ नवासी प्रतिशत) स्वीकृत किया गया है।


4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत केन्द्र सरकार के उक्त निर्णय को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छटा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को वर्तमान में अनुमान्य महँगाई राहत की दर को निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-

राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छटा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई राहत 164% (एक सौ चौंसठ प्रतिशत) से बढ़ाकर 189% (एक सौ नवासी प्रतिशत) किया जाय। इस वृद्धि में दिनांक 01.01.2020, 01.07.2020 एवं 01.01.2021 को देय अतिरिक्त किश्तें सम्मिलित हैं। पूर्व में अवधारित महँगाई राहत की दर, दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिए 164% ही रहेगी।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1853, वि० दिनांक 23.08.2021 के क्रम में दिनांक 24.08.2021 की बैठक के मद सं० 16 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए-12/2013..... 1823/18

राँची, दिनांक 26/08/2021

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखंड, राँची/ मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/ सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ सभी आरक्षी अधीक्षक/ सभी कोषागार/ उप-कोषागार पदाधिकारी/ जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग/ वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, झारखंड, राँची/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महँगाई भत्ते की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय/ सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने तथा पी०एम०यू० कोषांग के सहायक प्रोग्रामर को विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।


(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।